न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 15/2011

अपीलांट

1. धर्मा पुत्र जेता, जाति विश्नोई, निवासी भालनी, तहसील बागोडा, जिला जालोर।
2. लाला पुत्र जेता, जाति विश्नोई, निवासी भालनी, तहसील बागोडा, जिला जालोर फौत के कायम मुकाम
   2/1 हीराराम पुत्र लालाराम उम्र 61 वर्ष
   2/2 लादुराम पुत्र लालाराम उम्र 58 वर्ष
   2/3 मोहनलाल पुत्र लालाराम उम्र 53 वर्ष
   2/4 रघुनाथ पुत्र लालाराम, उम्र 45 वर्ष, तमाम जातियान विश्नोई, निवासीगण हापु की ढाणी, भालनी, तहसील बागोडा, जिला जालोर।
   2/5 भीखी पुत्र लालाराम पत्नी किशनाराम, जाति विश्नोई, निवासी हेमागुडा, तहसील चितलवाना, जिला जालोर
   2/6 जमना पत्री लालाराम पत्नी वागाराम, जाति विश्नाई निवासी रोयला, तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर।

रेस्पोडेन्टस्

1. नारायण पुत्र जेता,
2. धीमा पुत्र जेता जाति विश्नोई, निवासीयान भालनी, तहसील बागोडा, जिला जालोर
3. देवीचंद पुत्र चुना
4. बाबूलाल पुत्र चुना
5. रूगनाथ पुत्र चुना
6. मृतक नरींगा पुत्र गुलाबा के कायम मुकाम–
   6/1 श्रीमति झमु बेवा नरींगा
   6/2 भाखरा पुत्र नरींगा
   6/3 किसना पुत्र नरींगा
   6/4 पुनमा पुत्र नरींगा फौत के कायम मुकाम
   (अ) नरपतराम पुत्र पुनमाराम
   6/5 सुरजमल पुत्र नरींगा
   6/6 राजुराम पुत्र नरींगा
7. तेजा पुत्र गुलाबा
8. रामा पुत्र गुलाबा
9. धुडा पुत्र सुरजन
10. चेना पुत्र काछला फौत के कायम मुकाम
    10/1 भागीरथ पुत्र चैनाराम
    10/2 गंगाराम पुत्र चैनाराम
    10/3 किशनाराम पुत्र चैनाराम, जातियान विश्नोई, निवासी भालनी
    10/4 हीरा पुत्री चैनाराम धर्मपत्नी राजू, जाति विश्नोई, निवासी करडा.

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

11. सगरामा पुत्र काछला फौत के कायम मुकाम –
    11/1 मोहनलाल पुत्र सगरामाराम
    11/2 बाबुलाल पुत्र सगरामाराम
    11/3 भगवानाराम पुत्र सगरामाराम
12. प्रेमाराम पुत्र धुडा
13. रामलाल पुत्र धुडा जातियान विश्नोई, निवासी भालनी
14. तहसीलदार बागोडा, जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
1. श्री त्रिलोक चंद महेता, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री निखिल दवे, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02
3. श्री जगदीश गोदारा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 03 से 05 6/4 (अ), 10/1 से 10/4 एवं 13
4. शेष रेस्पोडेन्ट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित
5. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 14 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 13.08.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत सहायक कलक्टर बागोडा द्वारा राजस्व वाद संख्या 63/2010(104/09) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.04.2011 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा भालनी में स्थित खसरा नंबर 275, 279, 277, 258, 280, 286 का 1/4 हिस्सा, खसरा नंबर 727, 749, 751, 752 का 1/4 हिस्सा, खसरा नंबर 1339, 1484, 1485 एवं 1538 की भूमि संयुक्त खातेदारी आराजी घोषित कराने एवं बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन कराते हुए खसरा नंबर 279, 1484 की भूमि प्रतिवादी लाला, खसरा नंबर 275 की भूमि प्रतिवादी धर्मा, खसरा नंबर 1339 की भूमि वादी नारायण के हिस्से में रखते हुए

अन्य तमाम भूमियो का समान रूप से विभाजन कराकर कब्जा वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 को दिलाना का अनुतोष चाहा। एवं वादी नारायण की 4 बीघा 6 बिस्वा भूमि खसरा नंबर 956 के बदले अधिक दिलायी जावे। साथ उक्त आराजीयात के संबध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 द्वारा प्रस्तुत वाद का अपीलांट द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया। उक्त जवाब दावे के चरण संख्या 4 में स्पष्ट अंकन है कि खसरा नंबर 875 रकबा 33 बीघा 16 बिस्वा न होकर 23 बीघा 16 बिस्वा है व खसरा नंबर 876 रकबा 15 बीघा 17 बिस्वा न होकर 56 बीघा 17 बिस्वा है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस संबध में कोई जांच नहीं की गई। सवंत 2031 को रेस्पोडेन्टगण एंव अपीलांट एवं धूडा के बीच वादग्रस्त आराजी का सहमति से बंटवाडा हो चुका है जिसके तहत अच्छी व खराब भूमि गांव के पास व दूर सिचिंत आदि सारी संभावनाओ को देखते हुए भूमि का नाप कर मौके पर अलग अलग खातेदारान के कब्जे करवाये गये। तत्पश्चात सभी खातेदार अलग–अलग हिस्सो पर काश्त करते आ रहे है। आपसी सहमति से किये गये बंटवाडे के आधार पर रिसेटलमेंट के दौरान अलग–अलग खातेदारी दर्ज की गई। जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 वादग्रस्त आराजी को सामलाती घोषित करवाकर बंटवाडा कराने के अधिकारी नहीं है। रेस्पोडेन्ट द्वारा सवंत 2031 में आपसी बंटवाडे को स्वीकार कर खसरा नंबर 279,1484, 275, 1339 बाबत हुए हुए बंटवाडे को स्वीकार कर शेष बंटवाडे को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चैलेन्ज किया है। रेस्पोडेन्टगण ने सवंत 2031 मे किये गये बंटवाडे व रिसेटलमेंट में किये गये इन्द्राज को स्वीकार किया है। जिससे वह उक्त बंटवाडे व इन्द्राज को आंशिक स्वीकार रूप से अस्वीकार करने से स्टाप्ड है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो को ध्यान में न रखते हुए प्राथमिक डिक्री जारी न कर अंतिम डिक्री जारी की है। जो कि विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबध में बिना जांच रिपोर्ट मंगवाये जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा भालनी में स्थित खसरा नंबर 275, 279, 277, 258, 280, 286 का 1/4 हिस्सा, खसरा नंबर 727, 749, 751, 752 का 1/4 हिस्सा, खसरा नंबर 1339, 1484, 1485 एवं 1538 की भूमि संयुक्त खातेदारी आराजी घोषित कराने एवं बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन कराते हुए खसरा नंबर 279, 1484 की भूमि प्रतिवादी लाला, खसरा नंबर 275 की भूमि प्रतिवादी धर्मा, खसरा नंबर 1339 की भूमि वादी नारायण के हिस्से में रखते हुए अन्य तमाम भूमियो का समान रूप से विभाजन कराकर कब्जा वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 को दिलाना का अनुतोष चाहा। एवं वादी नारायण

उपखण्ड अधिकारी
पाली

की 4 बीघा 6 बिस्वा भूमि खसरा नंबर 956 के बदले अधिक दिलायी जावे। साथ उक्त आराजीयात के संबध में प्रतिवादीगण के बिरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। सेटलमेंट विभाग को विभाजन करने एवं नये सिरे से खातेदारी हक प्रदान करने का अधिकार नहीं है। जिससे सेटलमेंट के द्वारा जो रिसेटलमेंट के दौरान क्षेत्राधिकार से परे जाकर राजस्व रेकर्ड में किये गये इन्द्राजात प्रथम दृष्टया शून्य, नाजायज, बेअसर एवं कानून के विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। जो कि विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा भालनी में स्थित खसरा नंबर 275, 279, 277, 258, 280, 286 का 1/4 हिस्सा, खसरा नंबर 727, 749, 751, 752 का 1/4 हिस्सा, खसरा नंबर 1339, 1484, 1485 एवं 1538 की भूमि संयुक्त खातेदारी आराजी घोषित कराने एवं बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन कराते हुए खसरा नंबर 279, 1484 की भूमि प्रतिवादी लाला, खसरा नंबर 275 की भूमि प्रतिवादी धर्मा, खसरा नंबर 1339 की भूमि वादी नारायण के हिस्से में रखते हुए अन्य तमाम भूमियो का समान रूप से विभाजन कराकर कब्जा वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 को दिलाना का अनुतोष चाहा। एवं वादी नारायण की 4 बीघा 6 बिस्वा भूमि खसरा नंबर 956 के बदले अधिक दिलायी जावे। साथ उक्त आराज़ीयात के संबध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। हस्तगत प्रकरण में हाजा न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा अपील में मुख्य बिन्दु यह लिया है कि वादग्रस्त आराजी के संबध में अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट के मध्य सवंत 2031 में बंटवाडा हो चुका है। एवं उक्त बंटवाडा अनुसार सभी खातेदारान वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त है। अब हस्तगत प्रकरण में मुख्य बिन्दु यह उद्भूत होता है कि क्या सेटलमेंट विभाग को कृषि आराजी का बंटवाडा करने का अधिकार था अथवा नही ? इस संबध में R.R.D 1999 514 चन्द्रावती बनाम भंवरसिंह में यह प्रतिपादित किया है कि "Settlement Authorities Can Not Make Partition." इसी प्रकार आर.आर.डी 1997 2013 नारायण बनाम छीतर में यह प्रतिपादित किया है कि "The Settlement Authorities Can not breakup the holdings." हस्तगत प्रकरण में न्यायिक दृष्टान्त पूर्णतया चस्पा होते है। उक्त न्यायिक दृष्टान्त से यह स्पष्ट है कि सेटलमेंट विभाग को कृषि भूमि का बंटवाडा करने का कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी बिन्दुओ को ध्यान में रखते हुए तनकीयात कायम कर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिसमे हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

15/2011
धर्मा बनाम नारायण वगैरह
पेज संख्या 5/5

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। तथा सहायक कलक्टर बागोडा द्वारा राजस्व वाद संख्या 63/2010(104/09) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.04.2011 यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया

यह निर्णय आज दिनांक 13.08.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली